भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3478

11.08.2025 को उत्तर के लिए

ओरण का संरक्षण

3478. श्री राव राजेन्द्र सिंह :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में मौजूद पवित्र उपवनों के बारे में कोई जानकारी है और क्या उन्हें निर्धारित करने के लिए कोई मानदंड हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्थानीय समुदायों द्वारा ऐसे उपवनों के संरक्षण और वन पूजा को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) ऐसे समुदायों को औपचारिक दर्जा प्रदान करने और ऐसे क्षेत्रों को विभिन्न जैव-विविधता कानूनों के दायरे में लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) राजस्थान में औरण के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) पवित्र उपवन, समुदाय द्वारा संरक्षित ऐसे भू-खंड होते हैं, जिनका सामान्यतया धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है तथा जो स्थानीय जैव-विविधता के संरक्षण में योगदान देते हैं। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को जीव-जंतुओं एवं वनस्पतियों की सुरक्षा तथा पारंपरिक या सांस्कृतिक संरक्षण संबंधी मूल्यों और प्रथाओं को संरक्षित करने हेतु किसी भी निजी या सामुदायिक भूमि को सामुदायिक रिजर्व घोषित करने का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त, जैविक विविधता अधिनियम, 2002 (वर्ष 2023 में यथा संशोधित) की धारा 37 के अनुसरण में राज्य सरकारें, स्थानीय निकायों के परामर्श से जैव-विविधता महत्व वाले ऐसे क्षेत्रों को जैवविविधता विरासत स्थलों (बीएचएस) के रूप में अधिसूचित कर सकती हैं।

यह मंत्रालय सामुदायिक भागीदारी और पारि-विकास संबंधी पहलों पर विशेष बल देते हुए पवित्र उपवनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सहायता प्रदान करता है।

(ङ) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 18.12.2024 के आदेश के अनुपालन में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राजस्थान राज्य में ओरण, देव-वन, रूंध या किसी अन्य नाम वाले पवित्र उपवनों की पहचान, प्रत्यक्ष सर्वेक्षण, उपग्रह से मानचित्रण एवं वर्गीकरण की प्रगति की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

*****